गिरफ्तारी कानून और इसके विधिक मूल्यांकन पर कार्य पुस्तिका

Work Book on the Law of Arrest and Its Legal Appraisal

का हिन्दी रुपान्तर

जी. वैंकटेश्वर राव
वरिष्ठ अभियोजक
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज
दिल्ली पुलिस

उद्देश्य व नैतिक मूल्य

दिल्ली पुलिस का उद्देश्य है -
कानून का निष्पक्ष और मजबूती से पालन;
अपराध को रोकना;
कानून भंग करने वाले लोगों की तलाश करना
तथा उन्हें न्याय के लिए प्रस्तुत करना;
समाज की भागीदारी को साथ लेकर शांति बनाए
रखना, जनता की सुरक्षा करना,
सहायता करना और उसे आश्वस्त करना ।
यह सब सत्यनिष्ठा, आपसी समझ और तर्कसंगत
न्याय से हो सके यह देखने के लिए
हमें दयालु, विनम्र और धैर्यवान होना चाहिए
और निर्भय होकर अथवा पक्षपात या पूर्वाग्रह
के बिना कार्य करना चाहिए ।
दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए
हमें हिंसा का सामना करते हुए व्यावहारिक,
शान्त और संयमी होना चाहिए
और केवल उतने ही बल का प्रयोग करना
चाहिए जो
हमारे कानूनी रूप से कर्तव्य पालन के लिए
अनिवार्य हो; जनता में
भय कम करने के लिए और जहां तक हो सके
हमारे द्वारा किए गए कार्यों की
ईमानदारी को प्रतिबिम्बित करने के लिए
हमें अपनी निष्पक्ष आलोचना
तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवर्तन के
लिए भी तैयार रहना चाहिए ।

सत्यमेव जयते
(अजय राज शर्मा)
आई.पी.एस.

पुलिस आयुक्त
दिल्ली
COMMISSIONER OF POLICE
DELHI
PHONES : 3319661, 3319721
FAX : 3722052
अर्ध सरकारी पत्र संख्या
D.O.NO.

प्राक्कथन

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के वरिष्ठ अभियोजक डॉ. जी. वैंकटेश्वर राव ने गिरफ्तारी कानून तथा इसके विधिक मूल्यांकन जैसे विषय का विस्तृत और गंभीर वर्णन किया है। इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। इन्होंने इस विषय का वर्णन करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला भी दिया है। बी. के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के मुकदमे में हाल ही में दिया गया वह उल्लेखनीय निर्णय भी शामिल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों का दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिनके अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा का उल्लेख है। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों पर विश्वव्यापी घोषणा (1948) के प्रावधानों, गैर कानूनी गिरफ्तारी के प्रभावों, गिरफ्तार किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन न केवल पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के लिए उपयोगी होगा बल्कि विषय से जुड़े सभी व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे।

अजय राज शर्मा

(अजय राज शर्मा)

अ.शा.पत्र सं.....

संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण)
(दिल्ली पुलिस), पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज
झड़ौदा कलां, नई दिल्ली

डॉ. किरन बेदी
आई.पी.एस.

दिनांक:.....

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के वरिष्ठ अभियोजक श्री डॉ. जी. वैंकटेश्वर राव द्वारा तैयार की गई यह वर्क बुक कानून लागू करने वाली एजेन्सियों के कार्यकारी अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझने और उनका विश्लेषण करने में अत्यन्त उपयोगी है।

मैं., प्रशिक्षक कॉलेज के विधि संकाय के इस युवा अधिकारी के प्रयासों, लगन और कठोर परिश्रम की सराहना करती हूँ।

किरन बेदी.

डा. किरण बेदी

आमुख

'गिरफ्तारी कानून और इसके विधिक मूल्यांकन' शीर्षक की यह वर्क बुक प्रशिक्षणाथिर्यों को गिरफ्तारी संबंधी विधि और संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

वर्क में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरन्त बाद पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पुस्तक में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसे हथकड़ी लगाए जाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और दिशा-निर्देशों का भी वर्णन किया गया है।

नई दिल्ली

जी.वी.राव
वरिष्ठ अभियोजक
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज

आभार ज्ञापन

इस वर्क बुक को पूरा करने में डा. किरन बेदी, (आई.पी0एस.) संयुक्त पुलिस आयुक्त/प्रशिक्षण, दिल्ली ने समय-समय पर मुझे जो प्रेरणा व मूल्यांकन सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

मैं, श्री सुनील गर्ग, (आई.पी.एस.) प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, दिल्ली का और श्री डी.एस. नोरावत, उप-प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, दिल्ली का अत्यन्त आभारी हूँ। कि उन्होंने मुझे इस काम का पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और समय-समय पर अपना सहयोग प्रदान किया।

मैं, श्री एम.एस. राठी, अध्यक्ष, विधि विभाग, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, दिल्ली का इस वर्क बुक को पूरा करने में मार्गदर्शन करने तथा निरन्तर बहुमूल्य परामर्श देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

अन्ततः मैं, दफ्तरी देवेन्द्र सिंह और प्रधान सिपाही नरेन्द्र सिंह को इस सामग्री को कम्पयूटर पर टाईप करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और उप-निरीक्षक प्रभात कुमार, प्रधान सिपाही मीर सिंह व प्रिटिंग प्रेस के समस्त स्टॉफ का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के सम्पादन व मुद्रण में सहयोग दिया।

जी.वी. राव

(जी.वी.राव)

वरिष्ट अभियोजक

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज

नई दिल्ली।

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
	1) मानवाधिकार बनाम गिरफ्तारी संबंधी भारतीय संविधान	3
	2) भारतीय संविधान तथा मानवाधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय घोषणा (1948) के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मिली सुरक्षा	5
अध्याय 2	गिरफ्तारी	8
	1) हथकड़ी लगाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश	9
अध्याय 3	गिरफ्तारी का अधिकार	12
	1) गिरफ्तारी से छूट	15
	2) गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में महिला अभियुक्त को प्राप्त सुरक्षा	16
अध्याय 4	गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई	18
अध्याय 5	गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार	20
अध्याय 6	गैर कानूनी गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री तरीकों के उपयोग के परिणाम	23
अध्याय 7	गिरफ्तारी के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली और न की जाने वाली बातें	26

जारी.....

अध्याय 8	गिरफ्तारी से संबंधित हाल के मुकदमे	31
अध्याय 9	निष्कर्ष	37
	पाठ्य पुस्तकें	38
	संदर्भाधीन मुकदमे	39
	प्रश्न	40
	गिरफ्तारी वारंट के फार्म	41
	अनुबंध–1	
	अनुबंध–2	

अध्याय - 1

प्रस्तावना

आपराधिक न्यायशास्त्र में गिरफ्तारी का अर्थ है - कानून के संभावित उल्लंघन या उल्लंघन के अभियोग में किसी व्यक्ति को कानून से प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए उसे रोक कर रखना। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न परिस्थितियों में गिरफ्तारी के वृहद अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें दंड लागू करने के अधिकार सौंपे गऐ है। मजिस्ट्रेटों को भी गिरफ्तारी के अधिकार हैं और यहा तक कि कुछ मामलों में अति विशिष्ट परिस्थितियों में गैर-सरकारी लोगों को भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधि कार दिया जा सकता है, लेकिन गिरफ़्तारी का यह अधिकार सोच समझकर, विवेक पूर्ण ढंग से और सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त गिरफ़्तारी किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में गंभीर दखलंदाजी है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-22 के अन्तर्गत किसी गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति या अभियुक्त को दिए जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं। इसलिए गिरफ़्तारी सदैव कानून के अनुसार की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में गिरफ़्तार करने वाले या गिरफ़्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी को किसी गैर कानूनी गिरफ़्तारी के लिए कोई दंड न भुगतना पड़े।

(क) गिरफ़्तारी का अर्थ

'गिरफ़्तारी' की परिभाषा किसी कानून में नहीं दी गई है। तथापि 'डिक्शनरी ऑफ़ लेक्सिकन' में गिरफ़्तारी का अर्थ है "किसी विधायी प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार रोक कर रखना जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हा जाए"। अंग्रेजी कानून के अनुसार गिरफ़्तारी में किसी व्यक्ति को रोक कर रखने की दृष्टि से उसे वास्तव में पकड़कर रखना है। इसके अलावा पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह, एआईआर, 1953 एससी 10 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत गिरफ़्तारी को इस प्रकार परिभाषित किया है "कथित अभियोग या दोष या कानून के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार से पकड़ कर रखना।"

साधारण अर्थ में 'गिरफ़्तारी' और 'हिरासत' शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन वास्तव में इन दोनों का अलग-अलग अर्थ है। गिरफ़्तारी का अर्थ है किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करना। यह किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की क्रियाविधि है। हिरासत का अर्थ है कानून सम्मत अधिकार प्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को तत्काल पकड़ना और उस पर नियंत्रण करना। हिरासत में लेने की क्रिया संबंधित व्यक्ति की गिरफ़्तारी के बाद आरंभ होती है। 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, एआईआर 1994, एससी 1774' के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ़्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है या जब कोई व्यक्ति आत्म समर्पण कर देता है तो उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। प्रत्येक गिरफ़्तारी में हिरासत शामिल है लेकिन हिरासत में गिरफ़्तारी शामिल नहीं है। इस प्रकार हिरासत और गिरफ़्तारी का

एक ही अर्थ नहीं है।

(ख) गिरफ़्तारी के दो उद्देश्य

गिरफ़्तारी के दो उद्देश्य हैं पहला और मुख्य उद्देश्य है मुकदमे के समय अभियुक्त की मौजूदगी सनिश्चित करना और दूसरा उद्देश्य है उसे गंभीर (संज्ञेय) अपराध करने से रोकना।

विशेषकर खतरनाक और हिंसक किस्म के अपराधी को गिरफ़्तारी करने का समाज के नैतिक बल पर बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ता है। गंभीर मामलों में अभियुक्त को समय पर गिरफ़्तार करना पुलिस की जांच की दिशा में एक आवश्यक कदम है। ऐसा न होने पर अभियोजन की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है।

(ग) मानवाधिकार बनाम गिरफ़्तारी संबंधी भारतीय संविधान

1. मानवाधिकारों की संकल्पना और दर्शन

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानवधिकारों पर की गई विश्वव्यापी घोषणा में किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और मानव गरिमा पर विशेष बल दिया गया है। अब अन्तराष्ट्रीय कानून और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नस्ल, रंग, धर्म और जाति की दृष्टि से कोई भेदभाव किए बिना किसी व्यक्ति या समुदाय के नागरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र या भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनिवार्य है।

मानवाधिकारों संबंधी प्रावधानों के अनुसार किसी सरकार या उसकी मशीनरी द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी गरिमा को जब तक कानूनी दृष्टि से आवश्यक न हो तब तक कोई चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। न्याय की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, किसी को भी मनमाने ढंग से न तो गिरफ़्तार किया जाएगा और न ही हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस, मजिस्ट्रेट और जेल प्रशासन द्वारा किसी भी अभियुक्त या व्यक्ति से अमानवीय और क्रूरता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मानवाधिकारों संबंधी प्रावधान आपराधिक न्याय के प्रशान के सही बर्ताव से संबंधित होने के साथ-साथ आपराधिक कानून के प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने पर भी बल देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद 3-21 द्वारा घोषित विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं जिनमें से अनुच्छेद 3 से 21 में किसी व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधि कारों का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 22-27 में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूहों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख है।

2. गिरफ़्तारी और भारतीय संविधान और मानवाधिकार

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के खंड-3 और 4 में नागरिकों और यहां तक कि कुछ मामलों में अभियुक्तों तक को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराकर उदाहरणत: अनु. 20(3) में मानवाधिकारों की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। वास्तव में मानवाधिकारों की विश्वयापी घोषणा, 1948 में कुल 30 अनुच्छेदों में से कम से कम 23 अनुच्छेद भारत के संविधान में भी शामिल किए गए हैं।

3. भारतीय संविधान तथा मानवाधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय घोषणा (1948) के अन्तर्गत गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति को मिली सुरक्षा

गिरफ़्तार किए गए किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 तथा मानवाधिकारों की अन्तराष्ट्रीय घोषणा (1948) के अनुच्छेद 3, 5 और 9 में शमिल किया गया है।

(क) भारतीय संविधान के अन्तर्गत किसी गिरफ़्तार व्यक्ति को मिलने वाली सुरक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित उसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। इन नागरिकों में गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति या अभियुक्त भी शामिल हैं। इन दोनों अनुच्छेदों की चर्चा नीचे की गई है।

अनुच्छेद 21 के अनुसार जाति, नस्ल, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर बिना किसी भेद भाव के सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तद्नुसार स्थापित कानून की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अमानवीय स्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपना भौतिक और मानवीय अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक साधारण इंसान की तरह जीने का अधिकार है।

अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ़्तार और हिरासत में रखने से बचाने की सुविधा दी गई है। इसके विभिन्न उपलब्धों में स्पष्ट घोषणा है कि –

1) गिरफ़्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नही रखा जाएगा और उसे अपनी पसन्द के किसी वकील से अपने बचाव के लिए परामर्श लेने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जाएगा।

2) गिरफ़्तार किए गए और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर निकटम अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन 24 घंटों में अदालत तक पहुंचने का समय शामिल नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्राधिकार के बिना उपरोक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य बनाम शोभा राम, एआईआर 1966 एससी 1910 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जैसे ही किसी नागरिक को गिरफ़्तार किया जाता है, भारत का संविधान सक्रिय हो जाता है। अतः वह नागरिक अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है।

(ख) मानवाधिकारों पर विश्वव्यापी घोषणा (1948) के अन्तर्गत किसी गिरफ़्तार व्यक्ति की सुरक्षा

अनुच्छेद–3 में कहा गया है "प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है"।

अनुच्छेद–5 में उल्लेख है "किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी या उससे क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे तिरस्कृत नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–9 में उल्लिखित है "किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे निर्वासित किया जाएगा।

अध्याय - 2

गिरफ़्तारी

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआर.पी.सी) की धारा 46 में गिरफ़्तारी की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धारा 46 के अनुसार गिरफ़्तारी चाहे वारंट सहित की जानी हो या बिना वारंट के गिरफ़्तार करने वाल पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह गिरफ़्तार किए जाने वाले व्यक्ति को तब तक हाथ न लगाए जब तक ऐसा करना अपरिहार्य न हो। केवल 'गिरफ़्तार' शब्द को कहने से ही गिरफ़्तारी नहीं हो जाती है, बल्कि गिरफ़्तारी के लिए गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक बार गिरफ़्तारी हो जाने के बाद यदि गिरफ़्तारी हो जाने के बाद यदि गिरफ़्तार व्यक्ति बचने का प्रयास करता है तो यह अपराध माना जाएगा जो स्वयं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 223 के अन्तर्गत दंडनीय है।

ठीक-ठाक ढंग से गिरफ़्तारी की क्रियाविधि का महत्व तब स्पष्ट हो जाता है जब यह निर्धारित करना हो कि किसी विशेष समय में कोई व्यक्ति वास्तव में गिरफ़्तार किया गया था अथवा नहीं।

धारा 46(2) के अनुसार गिरफ़्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उस स्थिति में गिरफ़्तारी के सभी उपाय कर सकता है जब गिरफ़्तार किया जाने वाला व्यक्ति इससे बचना चाहे या गिरफ़्तारी का बलपूर्वक प्रतिरोध करे। 'सभी उपाय' का बहुत व्यापक अर्थ है और यह अनुभव करते हुए धारा 46(3) में इसकी सीमा तय की गई है। इस धारा

में उल्लिखित है कि जब तक गिरफ़्तार किया जाने वाला व्यक्ति मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध का दोषी न हो तब तक गिरफ़्तार कर्ता को उसे जाने से मारने का अधिकार नहीं है।

'सभी उपाय किए जाने चाहिए' का जो उल्लेख धारा 46(2) में किया गया है उसे धारा 49 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें बताया गया है कि गिरफ़्तार व्यक्ति जब तक भागने को प्रयास न करें, तब तक उस पर सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए।

धारा 46(2) के अन्तर्गत उल्लिखित 'सभी उपाय किए जाने चाहिए' के अनुसार कभी-कभी पुलिस अधिकारी को गिरफ़्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर रखना पड़ता है। विशेषकर तब, जब विचाराधीन कैदियों को जेल से अदालत ले जाना होता है। इस संदर्भ में कैदियों को लाने-ले जाने वाले पुलिस दल को हथकड़ियों के इस्तेमाल संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए।

(क) हथकड़ी लगाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुकदमों में हथकड़ी कब लगाई जानी चाहिए और कब नहीं, इस पर अपने निर्णय दिए हैं:

1. हथकड़ी कब लगाई जानी चाहिए

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1980 एससी 1535 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अभियुक्त के साथ चलने वाले पुलिस दल को

कैदी को तभी हथकड़ी लगानी चाहिए जब वह खतरनाक और दु:साहसी हो या उसके हिरासत से भागने की आशंका हो या भागने की कोई चाल चलने वाला हो। कैदी के साथ चलने वाले पुलिस दल को अपनी कार्रवाई कैदी के पूर्व आचरण के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए।

इसके अलावा सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश सरकार, 1990 एससीसी (सीआर)-440 मुकदमे में यह निर्णय दिया है कि अभियुक्त को लाने - ले जाने वाले अधिकारी को विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से रिकार्ड करना चाहिए और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इस संबंध में न्यायालय को सूचित करना चाहिए, ताकि न्यायालय परिस्थितियों पर विचार करके एस्कार्ट दल को आवश्यक निर्देश जानी कर सके।

2. सामान्यत: हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए

सुनील बतरा बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर-1978 एससी 1675 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रूटीन किस्म के मामलों में हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत किसी विचाराधीन कैदी को भी चलने-फिरने की न्यूनतम स्वतंत्रता प्राप्त है जिसे हथकड़ी डालकर या किसी अन्य विधि से क्रूरतापूर्वक बाधित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1980 एससी-1535 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती कि उस गंभीर अपराध का आरोप है और इससे एस्कॉर्ट दल को सुविधा होती है। किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का अधिकार देने से संबंधित विनियमों

तथा मैनुअलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सामान्य स्थितियों में विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाना या ऐसा ही कोई अन्य उपाय करना गैर कानूनी बताया गया है।

इसी मुकदमें में (प्रेम शंकर शुक्ला) सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हथकड़ी लगाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर कुछ अन्य विकल्प अपनाए जाने चाहिए जैसे :-

(क) अभियुक्त के साथ चलने वाले पुलिस दल में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना;

(ख) यदि आवश्यक हो तो एस्कार्ट दल को हथियार से लैस करना;

(ग) एस्कार्ट दल को विशेष प्रशिक्षण देना;

(घ) कैदियों को किसी सुरक्षित वाहन में लाना ले लाना।

इन उपायों को अपनाकर तमिल नाडु राज्य में काफी हद तक हथकड़ी लगाने की प्रथा समाप्त हो गई है।

अध्याय – 3

गिरफ्तारी का अधिकार

गिरफ्तारी, वारंट सहित या बिना वारंट के, की जा सकती है। वारंट सहित गिरफ्तारी का वर्णन अध्याय 4 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70–81 के अन्तर्गत किया गया है। इसलिए इस अध्याय में केवल बिना वारंट गिरफ्तारी की चर्चा की जाएगी। इन अधिकारियों/कार्मिकों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है – (क) कोई भी पुलिस अधिकारी; (ख) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी; (ग) प्राइवेट व्यक्ति; (घ) मजिस्ट्रेट और (ड़) सशस्त्र सेना का कर्मी।

1. (क) कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, मजिस्ट्रेट के आदेश से या उसके आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है, बशर्ते कि दंड प्रक्रिया की धारा 41, 42, 123(6), 151 और 432(3) के शर्ते पूरी होती हों।

(1) धारा 41(1) के अन्तर्गत;

(क) कोई भी वह व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हो या जिसके विरूद्ध कोई वाजिब शिकायत हो या पक्की सूचना प्राप्त हुई हो या उस पर वाजिब शक हो;

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने अकारण ही किसी के घर में प्रवेश किया हो;

(ग) कोई भी पूर्व घोषित अपराधी;

(घ) कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास चोरी की कोई वस्तु या सम्पत्ति होने का संदेह हो;

(ड़) कोई भी वह व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डाल रहा हो या जो बचकर भाग रहा हो या हिरासत से भागने का प्रयत्न कर रहा हो;

(च) थल सेना, जल सेना या वायु सेवा का कोई भगोड़ा;

(छ) कोई भी वह व्यक्ति जिसने भारत के बाहर वह कार्य किया हो जिसे भारत में अपराध माना जाता है;

(झ) कोई भी वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करने की मांग किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने की हो।

(2) धारा 42 के अन्तर्गत यदि किसी अभियुक्त की दृष्ट से उसके द्वारा किया गया अपराध असंज्ञेय हो लेकिन वह अभियुक्त अपना नाम और पता बनाने से इंकार करे या झूठा नाम व पता बनाए।

(3) धारा 123(6) के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति छोड़ दिए जाने पर छोड़े जाने की शर्तों का उल्लंघन करे।

(4) धारा 151 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध से रोकने के लिए।

(5) धारा 432(3) के अन्तर्गत कोई भी वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया हो या जिसकी सजा, कुछ शर्ते पूरी न होने के कारण फिर से बहाल कर दी गई हो।

(6) वे स्थानीय तथा विशेष कानून जो बिना वारंट गिरफ्तारी को प्राधिकृत करते हैं; जैसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34, वन अधिनियम 1927 की धारा 64, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 20, विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 30ए दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 59(2) और 3, विदेशी व्यक्ति अधि नियम, 1946 की धारा 14 और मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 128

(ख) किसी थाने का पुलिस अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है :

1. कोई पक्का अपराधी या ऐसा व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करने के इरादे से स्वयं को छिपाए (धारा 41(2);

2. गैर कानूनी ढंग से एकत्रित भीड़ को या इसमें से कुछ को तितर-बितर करने के लिए (धारा 129(2);

3. किसी संज्ञेय अपराध की छानबीन के लिए (धारा 157);

4. जब गवाह अदालत जाने या बांड को लागू करने से इंकार करे (धारा 171)

5. उपरोक्त 'क' में वर्णित अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए।

(ग) प्राइवेट व्यक्ति : धारा 43 के अन्तर्गत कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर या करवा सकता है जिसने उसकी उपस्थिति में गैर जमानती और संज्ञेय अपराध किया हो या जो व्यक्ति पूर्व घोषित अपराधी हो।

(घ) मजिस्ट्रेट : धारा 44 के अन्तर्गत कोई एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रे या जूडिशियल मजिस्ट्रेट निम्नलिखित स्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है :-

1. अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हुआ हो;

2. उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हो;

3. मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत हो।

(ड़) सशस्त्र सेना का अधिकारी : किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सशस्त्र सेवाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी को जनता की सुरक्षा के लिए गैर कानूनी ढंग से एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए भीड़ में से किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है (धारा 130(2) तथा 131)।

2. गिरफ्तारी से छूट :

निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय संविधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता के

प्रावधानों के अन्तर्गत गिरफ्तारी से छूट है :

1. राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी से छूट है (भारतीय संविधान की धारा 361(3)।

2. सशस्त्र सेना के सदस्यों को उनके कर्तव्य पालन में कोई कमी रहने पर भी केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45)

3. न्यायिक अधिकारियों को जिला और सैशन जज अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। (जूडीशियल ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1991 एससी (2176)।

4. सांसदों या विधायकों की जब सदन की कार्रवाई चल रही हो तब स्पीकर की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी गिरफ्तारी सदन के बाहर की जाती है तो उसकी सूचना स्पीकर को दी जानी चाहिए।

3. गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में महिला अभियुक्त को प्राप्त सुरक्षा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निम्नलिखित परिस्थितियों में महिला अभियुक्तों को गिरफ्तारी और तलाशी के मामले में कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है:

1. यदि कोई स्थान (जहां प्राधिकृत व्यक्ति को किसी महिला अभियुक्त की तलाशी

के लिए जाना हो) उप धारा 1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार न हो और वह स्थान कोई ऐसा अपार्टमैंट हो जहां महिला अकेली हो (और उसे गिरफ्तार न करना हो) तो उस स्थान की तलाशी लेने से पहले पुलिस अधिकारी कथित महिला को उस स्थान से हट जाने का नोटिस देगा [धारा 47(2)]

2. किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए ली जाएगी [धारा 51(2) तथा 100(3)]

3. महिला अभियुक्त की डाक्टरी जांच किसी रजिस्टर्ड महिला मेडिकल प्रैक्टीशनर द्वारा की जाएगी [धारा 53(2)]

4. कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार की गई या पुलिस थाने अथवा चौथी में रोकी गई 18 वर्ष से कम या इससे अधिक आयु की महिला को तत्काल छोड़ने का आदेश दे सकता है।

क्रिश्चियन कम्युनिटी वैलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम महाराष्ट्र सरकार 1995 सीआर.एल.जे. 4223 (बोम.) मुकदमे में मुम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी महिला को केवल महिला कान्सटेबल की उपस्थिति में ही गिरफ्तार किया जाए और किसी भी महिला को रात के समय गिरफ्तार न किया जाए तथा उसके लिए अलग 'लॉक-अप' की व्यवस्था की जाए।

अध्याय – 4

गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई

विभिन्न परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं में बताया गया है। अपनाई जाने वाली क्रियाविधि इस प्रकार है :-

1. गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने चाहिए (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार)।

2. यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कथित अपराध जमानत योग्य हो तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उसके जमानत पर छूटने के अधिकार के विषय में बताना चाहिए (धारा 150)।

3. यदि कथित अपराधी को जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेगा और इस संबंध में ज्ञापन (मीमो) तैयार करेगा। पुलिस अधिकारी अभियुक्त के पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके पास मौजूद अन्य सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लेगा। इस प्रकार जब्त किए गए सभी सामान की रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा पूरी इज्जत के साथ ली जाएगी (धारा 51)। यदि जब्त सामान कोई हथियार हो तो पुलिस अधिकारी उसे उस अदालत में भेजेगा जहां कथित अभियुक्त को पेश किया जाना है (धारा 52)।

4. पुलिस अधिकारी अपराध के सबूत के तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच करवा सकता है और आवश्यकता होने पर इस जांच के लिए वांछित बल प्रयोग भी कर सकता है (धारा 53)।

5. गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक (इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है) अपने पास रोक कर नहीं रखेगा। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करेगा (धारा 56 और 57)।

6. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर उतना ही नियंत्रण रखा जाएगा जितने से वह छूट कर भाग न सके (उदाहरण के लिए हथकड़ी लगाना नियंत्रण का एक तरीका है) (धारा 49)।

7. थाना प्रभारी बिना वारंट की गई सभी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को देगा (धारा 58)।

8. पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति स्वयं अपने बांड या जमानत या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा (धारा 59)।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी की उपरोक्त क्रियाविधि को अपनाना अनिवार्य है।

अध्याय – 4

गिरफ्तारी व्यक्ति के अधिकार

भारतीय संविधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है :-

1. गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

प्रत्येक मामले में, गिरफ्तारी वारंट सहित की गई हो या बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के गिरफ्तारी के कारण बताएगा। (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 50(1), 55 और 75)।

2. जमानत की सूचना का अधिकार

यदि किसी व्यक्ति को किसी जमानती अपराध के लिए बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह बताया जाना चाहिए कि उसे जमानत पर छूटने का अधिकार है (धारा 50(11) और 436)।

3. बिना न्यायिक समीक्षा के 24 घंटों से अधिक न रोके जाने का अधिकार

गिरफ्तारी के प्रत्येक मामले में गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी के 24 घंटों के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक ले जाने में लगने वाला समय इन 24 घंटों में

शामिल नहीं होगा (संविधान का अनुच्छेद 22(11) और धारा 57।

4. वकील से सलाह लेने का अधिकार

भारतीय संविधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है (अनुच्छेद 22(1) और धारा 303)।

5. गिरफ्तार व्यक्ति को मुफ़्त कानूनी सहायता और इसके बारे मे उसे बताए जाने का अधिकार

खत्री (11) बनाम बिहार राज्य, (1981)। एस.सी.सी. 627 मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्य के लिए कानूनी दृष्टि से यह अनिवार्य है (अनुच्छेद 21 के प्रावधान के अनुसार) कि अभियुक्त को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह कानूनी बाध्यता मुकदमा शुरू होने पर ही नहीं है, बल्कि उस समय भी है जब उसे पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या बाद में समय-समय पर अदालत में लाया जाता है।

इसी प्रकार **सुख दास बनाम अरूणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश,** (1986) 11 एससीसी 401 मुकदमे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अभियुक्त को कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है या कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इंकार किया जाता है तो इसका मुकदमे पर सीधा प्रभाव पड़ता है और हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कथित अपराधी को दंड ही न दिया जा सके। अत: अदालत

अभियुक्त को उसके बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराएगी और यदि अभियुक्त उस वकील का खर्च नहीं उठा सकता है तो उसका खर्च राज्य द्वारा उठाया जाएगा (धारा 304)।

6. किसी डॉक्टर द्वारा जांच का अधिकार

मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के निर्देश दे सकता है - (क) यदि डॉक्टरी जांच अभियुक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को असत्य प्रमाणित करती हो, अथवा (ख) अभियुक्त पर शारिरिक दृष्टि से कोई अत्याचार होना सिद्ध होता हो (धारा 54)।

अध्याय - 6

गैर कानूनी गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री तरीकों के उपयोग के परिणाम

(क) गैर कानूनी गिरफ्तारी के परिणाम : वह गिरफ्तारी जो कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है। इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के निम्नलिखित परिणाम हैं :-

1. यदि गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत उनमें निहित शर्तो के अनुसार प्राइवेट रूप से अपने बचाव के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

2. यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे गिरफ्तारी करने का अधिकार है, कानून का उल्लंघन करते हुए अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 220 का उल्लंघन करता है तो इस विशेष प्रावधान के अलावा कोई भी वह व्यक्ति जो गैर कानूनी गिरफ्तारी करता है इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

3. गिरफ्तार करने वाले अधिकारी पर गैर कानूनी गिरफ्तारी, किसी को झूठे आरोप में कैद करने, गैर कानूनी ढंग से किसी को रोक कर रखने आदि के लिए क्षतिपूर्ति का सिविल सूट दायर किया जा सकता है। यह सिविल सूट सिविल

प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सरकार को नोटिस देने के बाद ही दायर किया जा सकता है।

4. कोई मुकदमा केवल इसीलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों का पूरा-पूरा पालन नहीं किया गया है।

5. गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए या किसी प्राधिकारी द्वारा गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में "हैबियस कार्पस" का मुकदमा दायर किया जा सकता है।

(ख) पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग और इसके प्रभाव

जांच पड़ताल या पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री तरीके के उपयोग का अर्थ है "बलप्रयोग और शारिरिक यातना देकर अभियुक्त से अपराध कबूल करवाना"। नि:संदेह पुलिस को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है और उसकी यह कानूनी ड्यूटी है कि वह अपराधी को गिरफ्तार करे और मामले की छानबीन के लिए उससे पूछताछ करे, लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अपराधी को सुलझाने की दृष्टि से हिरासत के दौरान पूछताछ करते समय या मामले की छानबीन करते समय अभियुक्त पर थर्ड डिग्री तरीका अपनाया जाए। लगातार धमकी देना तथा अभियुक्त को उत्तर देने के लिए बाध्य करना दबाव डालने का ही एक ढंग है, विशेषकर थाने के अंदर (शारिरिक यातना देते हुए) ऐसा करना थर्ड डिग्री तरीके का एक उदाहरण है।

प्रभाव

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 के अनुसार पूछताछ के दौरान अभियुक्त को शारीरिक यातना देना एक अपराध है और इस अपराध के लिए 7 से 10 वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है।

2. मानवाधिकारों पर विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 5 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3), पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 तथा पुलिस आचार संहिता के नियम 3 के अनुसार अभियुक्त को किसी प्रकार की शारिरिक यातना दिए जाने का निषेध है।

अध्याय – 7

गिरफ्तारी के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली और न की जाने वाली बातें

(क) की जाने वाली बातें :

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत वह गिरफ्तारी के तुरन्त बाद नीचे दिए गए आवश्यक प्रावधानों का पालन करें :-

1. गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेगा और अभियुक्त के पहने गए कपड़ों के अलावा अन्य सभी वस्तुएं अपने कब्जे में लेकर उन्हें हिफाज़त से रखेगा। पुलिस अधिकारी इस प्रकार जब्त की गई वस्तुओं की सूची बनाएगा और इसकी एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी देगा। जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा गिरफ्तार की गई महिला की इज्जत को बनाए रखते हुए ली जाएगी (धारा 51)।

2. जब धारा 51 के अंतर्गत जब्त की गई वस्तु कोई हथियार हो तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस हथियार को उस अदालत में भेजेगा जहां अभियुक्त को पेश किया जाना है (धारा 52)।

3. प्रत्येक गिरफ्तारी को गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। इसे पूरे विवरण सहित जनरल डायरी में भी दर्ज किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी का समय विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन्हें भी दर्ज किया जाना चाहिए।

4. गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देनी चाहिए और यदि उसके द्वारा किया गया अपराध जमानत योग्य हो तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके जमानत पर छूटने के अधिकार के विषय में भी बताया जाना चाहिए (धारा 50)।

5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटो के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए (धारा 57)।

6. यदि गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी यह समझता हो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की डॉक्टरी जांच से उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में कोई सबूत प्राप्त करने में मदद मिलगी तो गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को अभियुक्त की प्राधिकृत चिकित्सक से डॉक्टरी जांच करानी चाहिए (धारा 53)।

7. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसके अपने बांड या जमानत अथवा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रिहा नहीं किया जाएगा (धारा 59)।

8. जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश प्राप्त - एआईआर 1994 एससी. 1349 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) के अंतर्गत गारंटी शुदा मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैं :-

(i) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि जब वह हिरासत में है तो उसे अपने किसी एक मित्र, संबंधी या किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अधिकार है जो उसे जानता हो और उसे हितों की देखभाल कर सकता हो। जहां तक संभव हो, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह भी बताएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया हौ और उसे हिरासत में कहा रखा जाएगा।

(ii) गिरफ्तारी की प्रविष्टि पुलिस थाने में मौजूद जनरल डायरी में की जाएगी और उसमें यह भी दर्ज किया जाएगा कि अभियुक्त की सूचना किसे दी गई है।

(ख) न करने योग्य बातें

पुलिस आयोगों तथा अनुसंधान अध्ययनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि पुलिस अक्सर ऐसे तरीके इस्तेमाल करती है जो उसे नहीं करने चाहिए। ऐसे तरीके हैं :

1. अपराध कबूलवाने के लिए गलत तरीकों का उपयोग;

2. पुलिस लॉक-अप में थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग;

3. अभियुक्त को हिरासत की 24 घंटों की कानूनी अवधि पूरी होने के बावजूद हिरासत में रखना;

4. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सम्पर्क न करने देना;

5. गैर कानूनी, अनौपचारिक तथा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी;

6. हिरासत के दौरान अभियुक्त को यातना देना, उसके साथ बलात्कार करना या उसकी हत्या करना;

7. हिरासत के दौरान अभियुक्त को सताना और उसका आपमान करना;

8. हिरासत में रखे गए व्यक्ति को भूखा रखना और ऐसी स्थितियां पैदा करना जिससे अभियुक्त आत्महत्या के लिए बाध्य हो;

9. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हथकड़ी लगाना या लॉक-अप में जंजीर से बांध कर रखना अथवा अदालत आदि लाते-ले जाते समय जनता के सामने जंजीरों से बांधकार रखना।

यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सभी काम मानवाधिकारों तथा मानव गरिमा के विरूद्ध हैं।

अध्याय – 8

गिरफ्तारी से संबंधित हाल के मुकदमे

1. **शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य,** (1983) 2 एस.सी.सी.96 मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे डॉक्टरी जांच का अधिकार है।

2. **अरविन्द सिंह बग्गा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य,** 1995 (1) एससीजे 173 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला गवाह (निधि) को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए जाने तथा गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखते और इस दौरान उसके साथ सख्ती बरतने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि उन सभी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की तत्काल कार्रवाई की जाए जिन्होंने उक्त महिला गवाह के साथ इस प्रकार का गैर कानूनी बर्ताव किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को यह निर्देश भी दिया कि निधि को 10,000/– रूपये तथा बिना किसी दोष के गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखे जाने और इस प्रकार बेइज्जत किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों में से प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये हर्जाने के रूप में दिए जाएं।

3. **अनूप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,** एआईआर 1995 एससी 1941 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि थाने में किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस थाने का प्रभारी अधिकारी अपने इस आपराधिक कृत्य की जिम्मेवारी कांस्टेबलों (जो वास्तव में मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे) पर डालकर इस बाधार पर अपनी जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकता है कि वह स्वयं थाने में मौजूद नहीं था और इस प्रकार के आपराधिक कार्य उस समय थाने में मौजूद कांस्टेबलों द्वारा किए गए हैं। इस प्रकार इस मुकदमे में दो कांस्टेबलों के साथ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (अनूप सिंह, एएसआई) को भी दंडित किया गया है।

4. डी.के.बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 (1) जे.टी., (एससी)1 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में दिशा-निर्देश दिए है जिन पर हिरासत के दौरान हिंसा का प्रयोग किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश कार्यकारी अध्यक्ष, कानूनी सहायता सेवा, पश्चिम बंगाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए उस पत्र के संदर्भ में दिया जो कार्यकारी अध्यक्ष ने विभिन्न समाचार-पत्रों में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा से संबंधित छपी खबरों के प्रसंग में अपने पत्र में लिखे थे। ये दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :-

(i) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने और उससे पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी के पास उसके नाम और पद की स्पष्ट पहचान जताने वाली व साफ-साफ लिखाई

वाली स्पष्ट नामपट्टी होनी चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करने वाले कर्मी का पूरा-पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

(ii) गिरफ्तारी करने वाल पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय का एक मीमो तैयार करेगा और इस मीमो पर कम से कम किसी ऐसे एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे जो या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस स्थान का सम्मानित व्यक्ति को जहां गिरफ्तारी की गई है। इस मीमो पर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इस पर गिरफ्तारी का समय व तारीख दर्ज होने चाहिए।

(iii) गिरफ्तार किए गए पुलिस थाने में हिरासत में रखे गए या पूछताछ के लिए पूछताछ केन्द्र अथवा किसी अन्य लॉक-अप में रखे गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कम से कम एक मित्र या अपने परिचित किसी ऐसे संबंधी से सम्पर्क स्थापित कर सके जो उसका भला करने में सक्षम हो। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सूचित किया जाना चाहिए। उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि उसे किस स्थान पर हिरासत में रखा गया है। जब गिरफ्तारी के मीमो को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मित्र या संबंधी हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

(iv) पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय तथा स्थान और हिरासत में रखे जाने वाले स्थान के विषय में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र या संबंधी को तत्काल सूचित

किया जाना चाहिए। यदि वह मित्र या संबंधी उस जिले या शहर से बाहर रहता है जहां व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के अंदर उस जिले में मौजूद कानूनी सहायता संगठन अथवा संबंधित क्षेत्र के थाने के माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना तार द्वारा भेजनी चाहिए।

(v) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में रखने के तुरन्त बाद उसके इस अधिकार से परिचित कराया जाना चाहिए कि उसे किसी को भी अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

(vi) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में रखने के स्थान को डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए और इस स्थान की जानकारी उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के विषय में सूचित किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति जिन पुलिस कर्मियों की हिरासत में है उन पुलिस कर्मियों के नाम तथा अन्य विवरण भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र या संबंधी को दिए जाने चाहिए।

(vii) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अनुरोध करे तो उसे लगी छोटी या बड़ी चोटों की डॉक्टरी जांच कराने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके शरीर पर यदि कुछ चोटें हों तो उन्हें भी दर्ज किया जाना चाहिए। "निरीक्षण मीमो" पर पुलिस अधिकारी तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इस मीमो की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए।

(viii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की डॉक्टरी जांच उसे हिरासत में रखने के 48 घंटों के अंदर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा या संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को सभी जिलों और तहसीलों के लिए इस प्रकार का एक पैनल तैयार करना चाहिए।

(ix) उपरोक्त वर्णित गिरफ्तारी के मीमो सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड हेतु इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

(x) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूरी पूछताछ के दौरान नहीं लेकिन पूछताछ के दौरान कम से कम कुछ समय के लिए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(xi) प्रत्येक जिला और राज्य मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने के स्थान तथा गिरफ्तारी से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। यह जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में एक स्पष्ट नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जानी चाहिए।

(xii) ऊपर बताई गई बातों का पूरा-पूरा पालन करने में असफल रहने वाले अधिकारी पर ने केवल विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए बल्कि उसे न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित किया जाना चाहिए और उसके विरूद्ध देश के उस

उच्च न्यायालय में जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हो, न्यायालय की अवमानता का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

ये प्रावधान संवैधानिक तथा अन्य विधिक सुरक्षाओं के अलावा हैं तथा उनसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के संबंध में अदालतों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य विभिन्न निर्देशों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होता है।

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि पीड़ित व्यक्ति को अदालत द्वारा निर्धारित हर्जाना भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए और यदि किसी मामले में पीड़ित व्यक्ति को मुकदमे की हर्जाने के रूप में कुछ राशि पहले अदा की जा चुकी हो तो अंतिम हर्जाना देते समय पहले अदा की गई राशि को समायोजित किया जाना चाहिए।

अध्याय - 9

निष्कर्ष

पुलिस अधिकारियों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गिरफ्तारी के इस अधिकारी का उपयोग कानूनी ढंग से होना चाहिए, न कि मानमाने ढंग से। नि:संदेह गिरफ्तारी किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप है। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत देश के नागरिकों के साथ-साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या अभियुक्त को भी प्राप्त हैं। अत: इनका कानूनी ढंग से पालन किया जाना चाहिए और ऐसा न होने पर गिरफ्तारी करने वाले प्राधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए।

पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उसे गिरफ्तारी से संबंधित सभी प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और इसके निर्णयों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। विशेष तौर से उसे किसी महिला, बच्चे, न्यायिक अधिकारियों, विधायकों, सांसदों और सरकारी कर्मचारियों आदि की गिरफ्तारी से संबंधित सभी कानूनों, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों व संबंधित निर्णयों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस को गिरफ्तारी से संबंधित सभी प्रावधानों को कड़ाई से, निष्पक्ष होकर, बिना पक्षपात अथवा भय के लागू करना चाहिए। साथ ही पुलिस को स्वयं को मानवाधिकारों की रक्षक छवि को भी उजागर करना चाहिए।

पुस्तक सूची

पाठ्य पुस्तकें

रतन लाल तथा धीरज लाल : दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर

आर.एस.वर्मा : कस्टोडियल डैथ एंड ह्यूमन राइट्स

के.कृष्ण मूर्ति : पुलिस डायरीज़ एंड स्टेटमेंट्स इटीसी,

लेख

जस्टिस के. जयचंद्र रेड्डी : ह्यूमन राइट्स पर्सपैक्टिवस-डे-टु-डे पुलिसिंग (सी.बी.आई. बुलेटिन, जून 1997)

डॉ.बी.आर. सहाय : ह्यूमन राइट्स एंड इंडियन कंस्टीट्यूशन (सी.बी.आई. बुलेटिन, मार्च 1999)

संदर्भाधीन मुकदमे

1. पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह, एआईआर 1953 एससी 10

2. प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, एआईआर 1994 एससी 1775

3. महाराष्ट्र बनाम शोभा राम, एआईआर, 1966 एससी 1910

4. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर, 1980 एससी, 1535

5. सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1990 एससीसी (सीआर) 440

6. सुनील बतरा बनाम दिल्ली दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1978 एससी 1675

7. क्रिश्चियन कम्यूनिटी वैलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1991 एससी 2176

9. खत्री (2) बनाम बिहार राज्य, (1981), 1 एससीसी 627

10. सुख दास बनाम अरूणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र (1986)2 एससीसी 401

11. जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1994 एससी 1349

12. शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1983) एससीसी 96

13. अनूप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य 1995(1) एससीजे 173

14. अनूप सिंह बनाम हिमालच प्रदेश राज्य, एआईआर, 1995 एससी 1941

15. डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997(1) जे.टी. (एससी)1

प्रश्न

1. गिरफ्तारी और हिरासत से आप क्या समझते हैं? क्या गिरफ्तारी हिरासत से भिन्न है?

2. भारतीय संविधान तथा मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा (1948) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या-क्या सुरक्षाएं प्राप्त है?

3. 'हथकड़ी लगाने' पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

4. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बिना वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार किसे प्राप्त है?

5. महिला अभियुक्तों को गिरफ्तारी और तलाशी के समय क्या-क्या प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं प्राप्त हैं?

6. क्या किसी सांसद या विधायक को गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि हां, तो उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

7. किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों की विवेचना कीजिए।

8. गैर कानूनी गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री तरीकों के क्या परिणाम होते हैं?

9. गिरफ्तारी के बाद की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए।

10. गिरफ्तारी से संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने योग्य और न की जाने योग्य बातों का ब्यौरा दीजिए।

11. डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों के लिए कौन-कौन से दिशा-निर्देश जारी किए हैं?

अनुबन्ध–1

गिरफ्तारी वारंट की फार्मे

(दंड पक्रिया संहिता की धारा 70 कृपया देखें)

सेवा में

(वारंट लागू करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम)

जबकि (अभियुक्त का नाम) (उसका पता) पर (अपराध का ब्यौरा दीजिए) अपराध करने का आरोप है, अत: आपको निर्देश दिया जाता है कि आप कथित .... को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी हाल में असफल न हों।

दिनांक..... दिन..... महिना..... वर्ष

(हस्ताक्षर)

(अदालत की मुहर)

अनुबन्ध–2

गिरफ्तारी वारंट की पृष्ठांकन

(धारा 70 कृपया देखें)

इस वारंट को निम्नलिखित विधि से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए :–

यदि कथित ..... कुल ..... रूपये की जमानत स्वयं देता है और कुल ..... रूपये का एक जमानती (अथवा ..... रूपये के दो जमानती) प्रस्तुत करता है और वह वचन देता है कि वह दिनांक ..... को मेरे सामने पेश होगा और भविष्य में भी जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए पेश होता रहेगा, तो उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

दिनांक..... दिन..... महिना..... वर्ष

(हस्ताक्षर)

(अदालत की मुहर)

नैतिक बल

के

लिए प्रशिक्षण

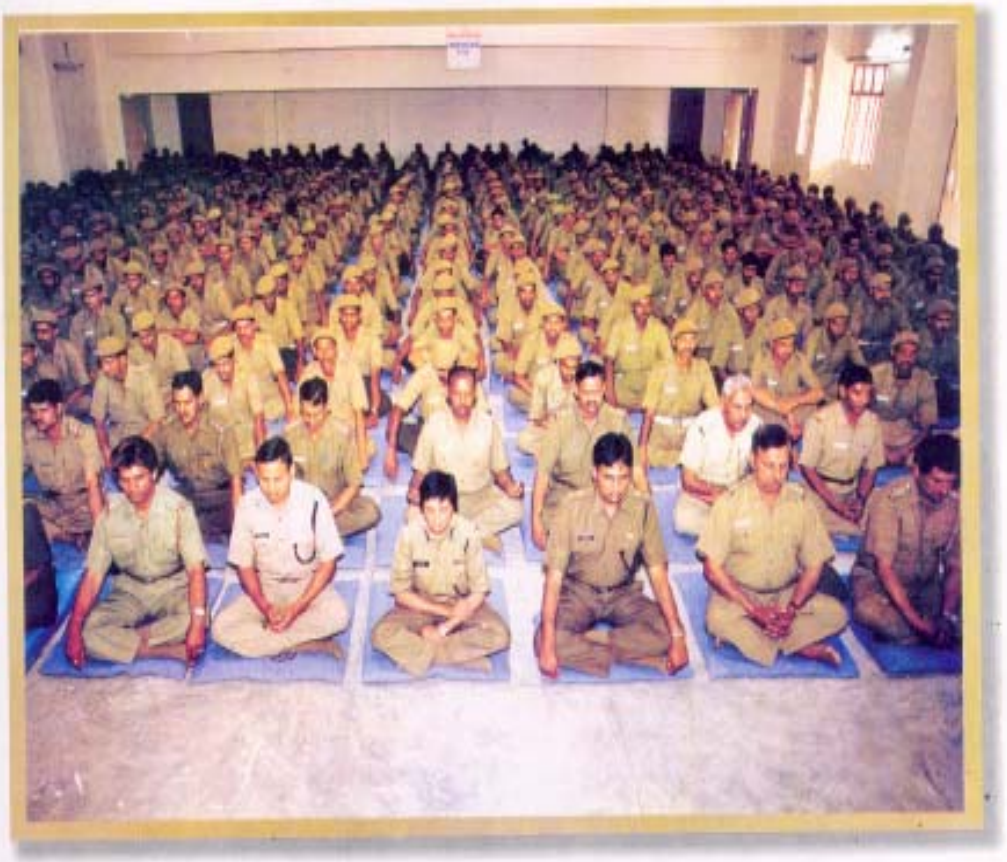

1021 पुलिस अधिकारियों के लिए दिनांक 1.3.99 से 11.3.99 को पीटीसी में आयोजित विपासना (ध्यान योग)

A Publication of Police Training College, Delhi Police
Tele. No. 5012014, 5017450, 5017452, 5017453, 5017454

	Phone	Fax	Website	e-mail
• Jt. C.P./(Training)	5016394(PTC) 3714142(PHQ)	5016390	www.ptcdelhi.org	ptcdelhi@vsnl.com
• Principal PTC	5016593	5016593		
• PBX				